

शुद्ध पत्र

पजाकृत पावता
उल्लंघन पत्र



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र
Makhapura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0146.2895202 फोन नं 2895185

Mine Code: 38RAJ23002

संख्या : राज/ सीकर-15/चूप-02

दिनांक : 01.04.2022

प्रेषित : M/s Oriental Talc Products Pvt. Ltd,
D 46B, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur 302 005
Email- smgl.supreme@gmail.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Rampura Limestone Mine (ML No. 08/91, Lease area 41.13 hect.) in Sikar District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 10.02.2022 by the undersigned in presence of Sh. Mohan Lal Sharma, Mine Owner's Representative :

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan(Approved on 06.04.2018): 1) During the year 2018-19, exploration was proposed by way of 08 bore holes (160m) but no such drilling has been carried out. 2) During the inspection bench height in the excavated pit was found more than 10m or more at some places whereas proposal of 6m bench height was given in approved review of mining plan.
Rule 26 (2)	A yearly report to be submitted before 1 st July of every year setting forth the extent of protective and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not been submitted to this office for the year 2020-21.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नीम का थाना, जिला -सीकर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

o/c

डा. आर. गुर्जर
01/04/2022

(डी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

o/c

डा. आर. गुर्जर
01/04/2022

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो